राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर 302016

दूरभाषः 2200786 निदेशक, 2205464 वरि.अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

2202347 पी.ए.बी.एक्स, 2203344 फैक्स

हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर–1800–180–6268

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in

विभागीय वैब साईट–www.sipf.rajasthan.gov.in

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन नं. : 0141–2751417

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर 302016

दूरभाषः 2200786 निदेशक, 2205464 वरि.अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

2202347 पी.ए.बी.एक्स, 2203344 फैक्स

हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर–1800–180–6268

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in

विभागीय वैब साईट–www.sipf.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य**	1
2	**राज्य बीमा योजना**	2 – 6
3	**प्रावधायी निधि योजना**	7 – 18
	1. सामान्य प्रावधायी निधि योजना	7 – 11
	2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजना	11 – 16
	3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना	16 – 17
	4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना	18
4	**साधारण बीमा निधि योजना**	19 – 27
	1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	20 – 21
	2. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	22
	3. विविध बीमा पॉलिसीयां	22 – 24
	4. ग्रुप मेडिक्लेम योजनाऐं	24 – 27
5.	**राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)**	28 – 30
6.	**सिस्टम**	31 – 34
7.	**डिजिटाईजेशन**	34
8.	**लेखा**	35
9.	**उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता**	36 – 41
10.	**विभाग का कार्मिक प्रबंधन**	42 – 43
11.	**सार संक्षेप**	44

1. विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य

राजस्थान सरकार में कार्यरत समस्त **राज्य कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा **राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मेडिक्लेम योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** आदि का संचालन किया जा रहा है।

स्वाधीनता के पश्चात् प्रदेश के राज्यकर्मियों के कल्याणार्थ राजस्थान सरकार ने कर्मचारी बीमा **नियम 1953** के तहत दिनांक **01–01–1954** से राज्य बीमा योजना को अनिवार्य रूप से राज्य सरकार में कार्यरत **समस्त कर्मचारियों** पर लागू किया। योजना का बाद में विस्तार करते हुए दिनांक **01–04–1989** से **जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों** में कार्यरत कर्मचारियों पर तथा दिनांक **01–04–1995** से सभी **नियमित कर्मनिरूपित कर्मचारियों** पर **अनिवार्य रूप से** लागू किया गया। वर्ष **1943** में मात्र **8000** कर्मचारियों से प्रारम्भ उक्त बीमा योजना जुलाई 2017 की गणनानुसार **लगभग 6.73 लाख** कर्मचारियों पर लागू है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक **01–05–1980** से **प्रावधायी निधि योजना** को भी **अनिवार्य रूप** से सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू किया गया। पूर्व में यह योजना अनिवार्य राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से तथा अन्य के लिये वैकल्पिक रूप से लागू थी। जुलाई 2017 की गणनानुसार प्रावधायी निधि योजना में **लगभग 3.96 लाख** अंशदाता है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक **1–4–1991** से **साधारण बीमा निधि** की स्थापना की गई जिसके द्वारा राज्य के **सभी सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, निगमों, सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों** आदि, जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण या गारंटर के रूप में वित्तीय हित निहित है, की परिसम्पत्तियों आदि के लिये साधारण बीमा की विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां जारी की जाती है ।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिनांक **01–01–2004** एवं उसके पश्चात् **नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों** पर लागू की गई है। इस योजना के सदस्यों की सामान्य प्रावधायी निधि कटौतियां नहीं की जा रही हैं। **राष्ट्रीय** पेंशन प्रणाली में जुलाई 2017 की गणनानुसार **लगभग 3.06 लाख** खातेदार है।

विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाऐं कर्मचारियों के लिये **कल्याणकारी योजनाऐं** हैं, जो **बचत को प्रोत्साहन** देने व **आयकर में छूट** प्रदान करने के साथ ही **न्यूनतम प्रशासनिक लागत** पर राज्यकर्मी तथा उसके **परिजनों को आर्थिक सम्बल** प्रदान करती है। राष्ट्रीय व अन्य राज्यों की योजना की तुलना में राजस्थान सरकार की राज्य बीमा योजना एवं साधारण बीमा योजना **सरल व अधिक लाभकारी** है।

2. राज्य बीमा योजना

अनिवार्य राज्य बीमा योजना

अनिवार्य राज्य बीमा योजना राजस्थान राज्य के गठन के उपरान्त कर्मचारी बीमा नियम 1953 के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मियों पर लागू है। योजना में नवीन नियम दिनांक 1.4.1998 से प्रभावी किये गये है। नवीन नियमों के परिप्रेक्ष्य में योजना की कार्यविधि पुस्तिका (मेनुअल) के अनुरूप कार्य निष्पादन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

1) **योजना किन पर लागू हैः**— अनिवार्य राज्य बीमा योजना स्थाई तथा अस्थायी राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत लाया गया उन पर भी दिनांक 1.4.95 से यह योजना लागू की गई है। (नियम 8(1))

2) **राज्य सरकार की गारन्टी** :— राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी की गई बीमा प्रसंविदाओं के अधीन देय लाभ एवं अन्य रकम को राज्य की संचित निधि में से चुकाने की राज्य सरकार गारन्टी देती है। (नियम 4)

3) **बीमाधन कुर्की से मुक्तः**— बीमा नियमों के अनुसार राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले बीमा प्रमाण पत्र के अंतर्गत देय बीमाधन न्यायालय द्वारा डिक्री एवं उसकी क्रियान्विति में कुर्की से मुक्त है। जिन मामलों में भवन निर्माण /क्रय हेतु किसी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के विरूद्ध बीमा पॉलिसी को बंधक रखा हुआ है, उनमें संबंधित संस्थान से पॉलिसी को मुक्त कराये जाने पर ही बीमाधन का भुगतान बीमेदार/दावेदार को किया जाता है। (नियम 50)

4) **बीमा नियम 1998 में संशोधन** :—

1) बीमा नियम 44(2) में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4(36) एफ.डी./राजस्व/96 पार्ट दिनांक 22.11.2007 द्वारा बीमा ऋण की किस्तें 36 के स्थान पर 60 की गई है।

2) बीमा नियम 11(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट दिनांक 23.12.2009 को अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों के अधिक जोखिम वहन की आयु 50 से बढाकर 55 वर्ष कर दी गयी है।

3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प–4(36)वित्त/राजस्व/96पार्ट–2 दिनांक 16.12.2010 द्वारा बीमा नियम 1998 के नियम 22(2)(11) में अपर निदेशक के पश्चात् संयुक्त निदेशक जोडा गया है।

5) **बीमेदारों की संख्या** :– इस योजना में दिनांक 12.7.2017 की गणनानुसार कुल बीमेदारों की संख्या 673504 है।

6) **उचन्त समायोजनः**–योजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 तक बकाया उचन्त राशि रूपये 1.29 करोड़ का संपूर्ण समायोजन विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा कर दिया गया हैं। अब उचन्त शून्य है।

7) **बीमा निधि** :– वर्ष 2016–17 के अन्त में राज्य सरकार के पास जमा बीमा निधि रूपये 12675.05 करोड है, जिसका राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है।

8) **मूल्यांकन एवं बोनस** :– राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 का बोनस दिनांक 25.05.2017 को एवम् वर्ष 2014–15 का बोनस दिनांक 27.10.2017 को घोषित किया गया है। सावधि बीमा पॉलिसियों पर प्रतिवर्ष रूपये 90/–प्रति हजार बोनस दिया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के बोनस निर्धारण से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है।

9) **राज्य बीमा पॉलिसी के अन्य मुख्य आकर्षण** :–

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अन्तर्गत योजना में जमा प्रीमियम राशि पर आयकर छूट का प्रावधान है।

2. योजना के नियमों के अंतर्गत बीमेदार द्वारा आवश्यकता अनुसार बीमा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु किसी कारण को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है तथा कर्मचारियों (बीमेदारों) से ऋण पर ब्याज वही लिया जाता है जो कि राज्य सरकार द्वारा बीमा निधि पर देय होता है, इस प्रकार अलग से कोई प्रभार नहीं लिया जाता है।

3. पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमेदार की मृत्यु पर मनोनीत व्यक्ति को **दुगुने बीमाधन का भुगतान** किया जाता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाता है और मार्च देय अप्रैल की (मात्र एक माह होने पर भी) प्रथम प्रीमियम कटौती के पश्चात् किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर उक्त दुगना बीमाधन देय होता है।

4. सावधि बीमा योजना में 1 रू0 के प्रीमियम पर अन्य बीमा कम्पनियों की तुलना में बीमाधन अधिक है और बोनस भी अधिक दिया जाता है।

10) **बीमा कटौती की दरें:–** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–4(36)वित्त/राजस्व/96 पार्ट, दिनांक 30.10.2017 के द्वारा राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती दरें निम्न प्रकार संशोधित की गई है, जो दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी होगी :–

क0सं0	मूल वेतन	खण्ड दरें (मासिक प्रीमियम)
01	रूपये 22000 तक	500
02	रूपये 22001 से 28500 तक	700
03	रूपये 28501 से 46500 तक	1300
04	रूपये 46501 से 72000 तक	1800
05	रूपये 72001 से अधिक पर	3000
06	अधिकतम	4000

वेतन खण्ड के लिए निर्धारित मासिक प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है, परन्तु यदि, बीमेदार चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खण्ड से आगामी दो वेतन खण्डों के लिये निर्धारित दरों पर कटौती करवाकर अधिक बीमाधन के लिये भी बीमित हो सकता है, लेकिन वेतन खण्ड 5 के अंतर्गत आने वाले बीमेदार अधिकतम 4000/– रूपये प्रतिमाह तक ही कटौती करा सकते हैं। वेतन खण्ड के लिए निर्धारित दर से अधिक कटौती के विकल्प को लेते समय बीमेदार को इस आशय की घोषणा करनी होती है कि वह टी0बी0, दमा, कैंसर, मधुमेह, एड्स अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिघोषित किसी अन्य रोग से ग्रस्त नहीं है।

11) **योजना का कार्य संपादन** :– योजना संबंधी समस्त कार्य यथा पॉलिसी जारी करना, अधिक जोखिम वहन करना, ऋण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन, खाता स्थानान्तरण तथा बीमा स्वत्व का निस्तारण आदि कार्य बीमेदार के पदस्थापन संबंधी जिला कार्यालय पर ही सम्पादित किये जा रहे हैं।

12) **बीमा योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण** :–

राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2015–16** में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :–

कसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1–	परिपक्वता स्वत्व	21709	20741	95.54
2–	मृत्यु स्वत्व	2598	2578	99.23
3–	अध्यर्पण स्वत्व	716	713	99.58
4–	बीमा ऋण	40948	40843	99.65

राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2016–17** में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :–

कसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1–	परिपक्वता स्वत्व	22878	21770	95.17
2–	मृत्यु स्वत्व	2334	2325	99.61
3–	अध्यर्पण स्वत्व	893	892	99.89
4–	बीमा ऋण	33966	33952	99.96

वर्ष 01.04.2017 से दिसम्बर, 2017 तक उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

कसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1–	परिपक्वता स्वत्व	22145	20652	93.26
2–	मृत्यु स्वत्व	1815	1764	97.19
3–	अध्यर्पण स्वत्व	765	747	97.64
4–	बीमा ऋण	24880	24800	97.67

13) प्राप्तियां एवं भुगतान :– वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 तथा दिसम्बर, 17 तक की प्राप्तियां एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	भुगतान	शेष
2015–16	9883.21	1773.07	860.55	12516.83	1291.12	11225.71
2016–17	11225.71	1838.99	974.37	14039.07	1364.02	12675.05
2017–18 (दिसम्बर, 17 तक)	12675.05	1309.80			1200.87	

3. प्रावधायी निधि योजना

1. सामान्य प्रावधायी निधि योजनाः–

(i) योजना विभिन्न चरणों में निम्न पर लागू हुईः–

योजना समस्त राज्य कर्मचारियों पर राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर दिनांक 1.4.1954 से अनिवार्य रूप से लागू हुई थी। स्वेच्छा से अंशदान करने वाले और राज्य बीमा की कटौती में अयोग्य घोषित कर्मचारियों के लिये अनिवार्य सामान्य प्रावधायी निधि कटौति के खातों के रखरखाव का कार्य महालेखाकार से विभाग द्वारा दिनांक 1–4–79 को लिया गया था, जो निरंतर इस विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।योजना का परिलाभ समस्त राज्य कर्मचारियों को देने के उदेश्य से दिनांक 1–5–1980 से उक्त योजना समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गई। दिनांक 1–1–2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं है। योजना में पुनर्लिखित राजस्थान सरकारी कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम, 1997 दिनांक 01.06.1997 से प्रभावी है।

(ii) सामान्य प्रावधायी निधि योजना के प्रमुख आकर्षण

1– योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित दर के अनुसार वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। वर्ष 2016–17 के लिए ब्याज दर प्रथम–द्वितीय त्रैमास हेतु 8.1 प्रतिशत, तृतीय–चतुर्थ त्रैमास हेतु 8.0 प्रतिशत वार्षिक है। वर्ष 2017–18 के लिए ब्याज दर प्रथम त्रैमास हेतु 7.9 प्रतिशत, द्वितीय–तृतीय त्रैमास हेतु 7.8 प्रतिशत एवम् चतुर्थ त्रैमास हेतु 7.6 प्रतिशत वार्षिक है।

2– कर्मचारी अपनी सेवानिवृति के पश्चात् समस्त लाभों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ.2(1)एफडी(रूल्स)/96 दिनांक 30–03–1999 द्वारा प्रावधायी निधि नियम 4 (1) (2) एवं 14 (2) में किये गये संशोधनानुसार खाते में जमा रख सकता है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)एफडी(रूल्स)/2008 पीटी–1 दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा राजस्थान

केडर के सेवा निवृत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं राजस्थान हाईकोर्ट के सेवा निवृत न्यायाधिपतियों को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अपने सेवा निवृत परिलाभों की राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 2(1)एफडी(रूल्स)/2008 पीटी–1 दिनांक 11–10–2017 द्वारा सेवा निवृति पश्चात् जमा राशि पर जीपीएफ में प्रचलित ब्याज दर लागू की गई है एवं योजना में राशि जमा होने के पश्चात् आहरण हेतु लॉक–इन पीरियड को समाप्त कर दिया गया है।

3– राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को इस योजना में अधिक से अधिक बचत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह सुविधा प्रदान की गई है अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती।

(iii) **सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें:–**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–2 (1)वित्त/(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा दिनांक 1–10–2017 से सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:–

क्र0सं0	वेतन खण्ड	अंशदान की दर (मासिक रूपयों में)
1	रूपये 23100/– तक	500.00
2	रूपये 23101/– से 28500/– तक	650.00
3	रूपये 28501/– से 38500/– तक	1100.00
4	रूपये 38501/– से 51500/– तक	1450.00
5	रूपये 51501/– से 62000/– तक	2100.00
6	रूपये 62001/– से 72000/– तक	3300.00
7	रूपये 72001/– से 80000/– तक	4100.00
8	रूपये 80001/– से 116000 तक	5200.00
9	रूपये 116001/– से 167000 तक	5700.00
10	रूपये 167000 से अधिक पर	6200.00

(iv) **आहरणः**—सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत नियमानुसार दो प्रकार के आहरण स्वीकृत किये जाते हैः—

1. **अस्थायी आहरणः**— कर्मचारी की कुल जमा राशि का **50 प्रतिशत अथवा 3 माह का मूल वेतन,** जो भी कम हो, अस्थायी आहरण के लिये दिया जा सकता है। नया अस्थायी आहरण पूर्व में आहरित अस्थायी आहरण की राशि **24** अथवा, अंशदाता द्वारा अनुरोध किये जाने पर, कम किश्तों में पूर्णतः लौटाने के पश्चात् देय होता है। अस्थायी आहरण निम्न कारणों पर देय हैः—

   (अ) स्वयं अथवा परिवार के सदस्य के इलाज, उच्च शिक्षा, सामाजिक दायित्व इत्यादि।

   (ब) स्वयं के मकान के क्रय, मरम्मत अथवा नवीनीकरण।

उपरोक्त कारणों के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ पासबुक व अन्य वांछनीय दस्तावेज भी संलग्न किये जाने आवश्यक है।

2. **स्थायी आहरणः**— कर्मचारी की जमा राशि में से **50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत** देय होता है। 50 प्रतिशत स्थायी आहरण स्वयं अथवा संतान की उच्च शिक्षा, बीमारी के लिए देय है। वाहन एवं उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए कीमत का 75 प्रतिशत या जमा राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तक देय है। 75 प्रतिशत स्थायी आहरण पुत्र/पुत्री का विवाह अथवा सगाई के लिए, मकान की खरीद, निर्माण, विस्तार, मरम्मत के लिए देय है। उपरोक्त स्थायी आहरण कर्मचारी की 15 वर्ष की सेवा अवधि उपरान्त देय है। मकान निर्माण हेतु 75 प्रतिशत राशि 15 वर्ष की सेवा से पूर्व भी देय है। **कर्मचारी की सेवानिवृति में 1 वर्ष रह जाने की स्थिति में बिना किसी कारण अपनी कुल जमा राशि का 90 प्रतिशत राशि आहरित कर सकता है।** कारण के अनुसार दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है।

(v) योजना का कार्य संपादनः–

दिनांक **1–5–80** से सभी राज्य कर्मचारियों पर यह योजना लागू होने पश्चात सभी **जिलों द्वारा विकेन्द्रीकृत रूप से** योजना को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत खातेदार का समस्त कार्य यथा खाता संख्या आवंटन करना, अस्थायी/स्थायी आहरण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन तथा स्वत्व का निस्तारण आदि कार्य खातेदार के पदस्थापित जिला कार्यालय पर ही सम्पादित किया जा रहा है।

(vi) योजना अंतर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरणः–

विभागीय मुख्य कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्व आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलनाः–

	मामलों की प्रकृति	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
वर्ष 2015–16	सा.प्रा.नि. सेवानिवृति	19344	19293	99.74
	सा. प्रा. नि. मृत्यु स्वत्व	2375	2367	99.66
	स्थायी प्रत्याहरण	43803	43788	99.96
वर्ष 2016–17	सा.प्रा.नि. सेवानिवृति	19805	19795	99.95
	सा. प्रा. नि. मृत्यु स्वत्व	2081	2063	99.13
	स्थायी प्रत्याहरण	38808	38798	99.97
वर्ष 2017–18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	सा.प्रा.नि. सेवानिवृति	16368	15850	96.84
	सा. प्रा. नि. मृत्यु स्वत्व	1832	1796	98.03
	स्थायी प्रत्याहरण	29361	28929	98.53

(vii) **प्राप्ति एवं भुगतानः–** प्रावधायी निधि योजना में प्राप्तियॉ एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	भुगतान	शेष
2015–16	21906.63	2694.49	1920.34	26521.47	2469.65	24051.82
2016–17	24051.82	2958.99	1951.82	28962.63	2683.75	26278.88
2017–18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	26278.88	2186.89	–	28465.77	2308.74	26157.03

(viii) **कुल खातेदार**

दिनांक 12.07.2017 को विभाग द्वारा कराई गई गणना के अनुसार योजना के अन्तर्गत **396130** खातेदार है।

(ix) **सामान्य प्रावधायी निधि फंड**

वर्ष 2016–2017 के अन्त में कुल सामान्य प्रावधायी निधि फण्ड राशि रूपये 26278.88 करोड़ रूपये थी।

(x) **खाताबंदी**

सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 से 2016–17 की खाताबंदी का कार्य ऑनलाईन प्रगति पर है।

2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजनायेंः–

विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर पेंशन की एवज में अंशदायी प्रावधायी निधि योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में लागू की गयी। इस विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित अंशदायी प्रावधायी निधि योजनाओं का संचालन किया जाता है :–

1. **राजस्थान राज्य कर्मचारी विद्युत यांत्रिक एवं जलदाय विभाग अंशदायी प्रावधायी निधि 1955**

2. **सार्वजनिक निर्माण विभाग उद्यान सहित 1961**

3. **सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर अंशदायी प्रावधायी निधि 1964**

4. **खान एवं भू–विज्ञान के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि 1987**

5. **वन विभाग के कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि 1994–95**

उल्लेखनीय है कि सी.पी.एफ./जीपीएफ/डब्ल्यूसी कर्मचारियों के पेंशन विकल्प के कारण इसकी राशि राजस्व मद में टी0ई0 पारित करने के कारण प्राप्तियॉ (–) में है तथा इस श्रेणी के कार्मिकों की नई भर्ती न होने से अंशदान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। **अंशदायी योजनाओं का समस्त कार्य 01–04–1996 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है** जो अब जिला कार्यालयों के स्तर पर संपादित किया जा रहा है।

(i) सिंचाई विभाग कर्म निरूपित (परियोजनाओं सहित) व सार्वजनिक निर्माण विभाग (उद्यान सहित)

यह योजना राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) तथा **उद्यान विभाग वर्कचार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 01.01.1961 से तथा सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 01.06.1964 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान की दर वेतन का 8 प्रतिशत है** तथा राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा करती है। दिनांक 01.01.1961 से पूर्व की सेवाओं के लिये सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित होने की तिथि से पूर्व, पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए 1/2 माह का वेतन विशेष अंशदान के रूप में दिया जाता है। इन कर्मचारियों को नियमित घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन लाभ–चयन की सुविधा दी जाती है जो कर्मचारी पेंशन लाभ का चयन करते हैं, उनके वेतन से अंशदायी प्रावधायी निधि की कटौती बंद कर सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जाती है।

उक्त योजना में वर्ष 2015–16 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	676.55	59.00	0.00	735.55
सामान्य प्रा0नि0	302.04	26.25	0.00	328.29

उक्त योजना में वर्ष 2016–17 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	735.55	58.90	0.00	794.45
सामान्य प्रा0नि0	328.29	26.46	0.00	354.75

वर्ष 2017–2018 (दिसम्बर 2017 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	794.45	0.01	0.00	794.46
सामान्य प्रा0नि0	354.75	(–) 0.10	0.00	354.65

(ii) जलदाय विभाग

राज्य सरकार द्वारा **सयांत्रिक एवं जलदाय विभाग** के नियमित श्रमिकों के सेवालाभ संदाय हेतु अंशदायी प्रावधायी निधि योजना बनाई गई, जो दिनांक **01.04.1955** से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में **8 प्रतिशत** की दर से कर्मचारी को अंशदान करना होता है तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार को नियोजक के अंशदान (राजकीय अंशदान) के रूप में जमा करानी होती है।

नियमित एवं कर्मनिरूपित कर्मचारी, जिन्हें नियमित श्रेणी में लिया गया है, को राजस्थान सेवा नियमों में शिथिलता बरते जाने पर समय–समय पर निर्धारित अवधि में पेंशन परिलाभ चयन करने की सुविधा प्रदान की गई तथा **अब दिनांक 01.09.1980 से जो कर्मनिरूपित कर्मचारी स्थायी होते हैं और 10 वर्षो की सेवा पूर्ण कर चुके हैं,को पेंशन**

का परिलाभ प्रदान करने का स्थायी विकल्प का प्रावधान, उनके सेवानियमों में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। स्थायी होने पर अंशदाता द्वारा पेंशन लाभ चयन करने पर अंशदायी प्रावधायी निधि की कटौती बंद कर सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जाती है।

वर्ष 2015 – 16 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	135.48	11.91	0.00	147.39
सामान्य प्रा0नि0	87.86	7.56	0.00	95.42

वर्ष 2016 – 17 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	147.39	11.56	0.00	158.95
सामान्य प्रा0नि0	95.42	7.69	0.00	103.11

वर्ष 2017–2018 (दिसम्बर, 2017 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	158.95	–0.01	0.00	158.94
सामान्य प्रा0नि0	103.11	–0.03	0.00	103.08

(iii) खान एवं भू– विज्ञान कार्य प्रभारित कर्मचारी

राजस्थान **खान एवं भू–विज्ञान विभाग** में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर यह योजना दिनांक **01.04.1987** से लागू की गई हैं। योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान 31 मार्च को रही उसकी परिलब्धियों के **8 प्रतिशत** की दर से करता है तथा इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अंशदाता के खाते में जमा कराई जाती है।

वर्ष 2015–16 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	1.50	0.13	0.00	1.63
सामान्य प्रा0नि0	0.25	0.02	0.00	0.27

वर्ष 2016–17 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	1.63	0.13	0.00	1.76
सामान्य प्रा0नि0	0.27	0.02	0.00	0.29

वर्ष 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	1.76	0.00	0.00	1.76
सामान्य प्रा0नि0	0.29	0.00	0.00	0.29

(iv) **वन विभाग कर्मनिरूपित कर्मचारी अंशदायी प्रावधायी निधि एवं सामान्य भविष्य निधि योजनाः–**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.94 की अनुपालना में वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर यह योजना लागू की गई है, इसके अंतर्गत अंशदाताओं के खातों का संधारण जिला स्तर पर ही किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भी अंशदान की दर कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के **8 प्रतिशत** के बराबर ही है। राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा कराती है। अन्य अंशदायी प्रावधायी निधि योजनाओं के समान ही इसमें भी कर्मचारियों को नियमित घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन चयन की सुविधा प्राप्त है।

वर्ष 2015–2016 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	44.74	3.54	0.00	48.28
सामान्य प्रा0नि0	2.65	0.21	0.00	2.86

वर्ष 2016–2017 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	48.28	3.72	0.00	52.00
सा0प्रा0नि0	2.86	0.25	0.00	3.11

वर्ष 2017–2018 (दिसम्बर, 2017 तक) तक प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	52.00	–0.48	0.01	51.51
सामान्य प्रा0नि0	3.11	– 0.01	0.00	3.10

(–) चिन्ह का कारण वर्कचार्ज कर्मियों के द्वारा नियमित होने पर पेंशन विकल्प लेने की स्थिति में उनके द्वारा सीपीएफ खाते में जमा कराये गये निजी अंशदान को सामान्य प्रावधायी निधि खाते में एवं राजकीय अंशदान पेंशन मद में स्थानांतरण प्रविष्टि(टी.ई.) के माध्यम से समायोजित किया जाना है।

3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना

यह **योजना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू** है। योजना के अन्तर्गत राजस्थान केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी आते हैं। इस योजना के खाते सामान्य प्रावधायी निधि के अनुरूप ही संधारित किये जाते हैं। योजना में अंशदाताओं की न्यूनतम कटौती कुल परिलब्धियों की **6 प्रतिशत** की

दर से की जाती है। अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान राज्य सेवाओं से पदौन्नति पर आने वाले अधिकारियों को भी योजना में अनिवार्य रूप से अंशदान करना होता है तथा राजस्थान सेवा की उनके प्रावधायी निधि खाते में जमा राशि इस निधि के अन्तर्गत संधारित खातें में स्थानान्तरित की जाती है। **अखिल भारतीय सेवा प्रावधायी निधि में रखे गये खाते का निर्धारित सीमा तक अवशेष रहने पर लिंक बीमा पालिसी देय है,** फलस्वरूप अंशदाता की सेवा में रहते हुए मृत्यु के समय उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अन्तर्गत अंशदाता के असामयिक निधन के समय उनके खाते में तीन वर्ष की औसत जमा के बराबर अथवा 30,000/– की राशि, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है। इस राशि का व्यय–भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में प्रा0नि. योजना के अन्तर्गत **372** अंशदाता है।

माह अप्रेल 2013 से प्रत्येक खातेदार का प्रारंभिक शेष कम्प्यूटर पर अपलोड कर प्रत्येक खातेदार को लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किये जा चुके हैं जिससे खातेदार अपने बैलेंस को ऑनलाईन देख सकता है। योजना से सम्बंधित क्रेडिट, डेबिट एवम् खाता स्थानांतरण ऑनलाईन किये जाने का कार्य भी प्रगति पर है।

योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	मामलों की प्रकृति	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
2015–16	प्रावधायी निधि स्वत्व	28	28	100
	स्थायी प्रत्याहरण	41	41	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	3	3	100
2016–17	प्रावधायी निधि स्वत्व	44	44	100
	स्थायी प्रत्याहरण	30	30	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	2	2	100
2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)	प्रावधायी निधि स्वत्व	37	37	100
	स्थायी प्रत्याहरण	20	20	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	3	3	100

4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना

यह योजना राजस्थान संवर्ग के सीधी भर्ती से नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर **1.1.1982 से अनिवार्य रूप से लागू है।** राजस्थान राज्य सेवाओं से पदौन्नत अधिकारी ग्रुप बीमा योजना के सदस्य बनने का विकल्प ले सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी द्वारा **120/– रूपये मासिक अंशदान किया जाता है।** इस अंशदान की राशि दो भागों में विभक्त होती है। **1/3 अंशदान बीमा निधि एवं 2/3 अंशदान बचत निधि में जमा होता है।** अधिकारी की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उनके मनोनीत को 1,20,000 रूपये एवं बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के प्रदान की जाती है। सेवानिवृति पर बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के देय होती है।

योजना में देय लाभ भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। विभाग द्वारा सभी अधिकारियों की राशि प्रति माह एक साथ अग्रिम भारत सरकार को भिजवायी जाती है। योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान अंशदाताओं की संख्या **377** है।

4. साधारण बीमा निधि योजना

1. साधारण बीमा निधि योजना

समस्त सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, राज्य निगमों, सहकारी समितियों एवं पंजीकृत संस्थानों जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण अथवा गारण्टर के रूप में वित्तीय हित निहित है, के बीमाकर्ता के रूप में वर्ष 1991 में साधारण बीमा निधि की स्थापना की गई। भारत सरकार के तत्कालीन कन्ट्रोलर ऑफ इन्श्योरेंस द्वारा साधारण बीमा निधि को अनुज्ञा पत्र संख्या 572/1992 जारी किया गया, जिसे वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है। साधारण बीमा निधि द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित फीस का भुगतान कर आई.आर.डी.ए.आई. से अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करवाया जाता है।

साधारण बीमा निधि द्वारा वर्तमान में निम्न प्रकार की बीमा जोखिम वहन की जा रही है:–

1. मेरिन बीमा
2. विविध बीमा
   - (i) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
   - (ii) ग्रुप मेडिक्लेम योजना
   - (iii) विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना
   - (iv) मनी इन ट्रांजिट मनी इन कैश पॉलिसी
   - (v) फिडिलिटी गारन्टी बॉन्ड
   - (vi) मशीनरी ब्रेक डाउन पॉलिसी
   - (vii) बैंकर्स इण्डेमिनिटी पॉलिसी
   - (viii) वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी
   - (ix) बर्गलरी एण्ड थैफ्ट पॉलिसी
   - (x) इलेक्ट्रोनिक इक्यूपमेंट पॉलिसी
   - (xi) सी.पी.एम. लोको पॉलिसी

साधारण बीमा निधि द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार फायर, बॉयलर एवं एविएशन बीमा जोखिम वहन करने का कार्य दिनांक 1.8.2011 से तथा मोटर बीमा जोखिम वहन करने का कार्य दिनांक 27.6.2014 से नहीं किया जा रहा है।

साधारण बीमा योजना द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. <u>समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना</u>

उक्त योजना में विभाग द्वारा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, विद्युत कम्पनियों में नियुक्त कर्मियों, होम गार्ड विभाग में नियुक्त कर्मियों तथा अन्य निगमों/मण्डलों/समितियों के कार्मिकों के लिये अलग–अलग पॉलिसियां जारी की जाती है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में निधन पर शोक संतप्त परिवार एवं दुर्घटना में हुई क्षति पर स्वयं बीमित को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। विभिन्न समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, नवीनीकरण तिथि इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	बीमा योजना	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पालिसी अवधि	विशेष विवरण
1	जीपीए (राज्यकर्मी)	220 रू. + सेवाकर	300000	1 मई से 30 अप्रेल	राज्य कर्मचारी के अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
2	जीपीए पुलिसकर्मी (स्वयं का अंशदान)	1. कास्टे. से हैड कांस्टे. 135/– + सेवाकर 2. स.उ.निरी. से निरीक्षक 270/– + सेवाकर 3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 405/– + सेवाकर	100000 200000 300000	1 अप्रेल से 31 मार्च	पुलिस कर्मियों के फरवरी माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
3	जीपीए पुलिसकर्मी (राजकीय अंशदान)	1. कास्टे. से हैड कांस्टे. 135/– + सेवाकर 2. स.उ.निरी. से निरीक्षक 270/– + सेवाकर 3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 405/– + सेवाकर	100000 200000 300000	16 मई से 15 मई	पुलिस विभाग द्वारा मई माह में नफरी आधारित प्रीमियम जमा कराया जाता है।

4	जीपीए (विद्युतकर्मी)	1. उत्पादन एवं प्रसारण कम्पनियों के कार्मिकों हेतु 250 रू. + सेवाकर 2. वितरण कम्पनियों के कार्मिकों हेतु 600/– +सेवाकर	200000 200000	जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से 1 वर्ष हेतु	विद्युत कम्पनियों द्वारा प्रीमियम विभाग के जिला कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है।
5	जीपीए (एटीएस–बीडीएस–एसीएस–ईआरटी)	10000/– +सेवाकर	2500000	15 अप्रेल से 14 अप्रेल	पुलिस विभाग द्वारा इन शाखाओं में पदस्थापित वर्दीधारी अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रीमियम जमा कराया जाता है।
6	जीपीए (होमगार्ड्स)	11.72 लाख रू. नफरी आधारित	150000	6 दिसम्बर से 5 दिसम्बर	गृहरक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर माह में एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
7	जीपीए (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)	0.78 लाख रू. + सेवाकर (नफरी आधारित)	150000	24 फरवरी से 23 फरवरी	नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा नफरी आधारित प्रीमियम जमा कराया जाता है।
8	जीपीए (अन्य बोर्ड/कारपोरेशन आदि)	250/– रू. + सेवाकर	200000	जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से 1 वर्ष हेतु	विभिन्न नगरपालिका/नगरपरिषद/कृषि उपज मण्डी समिति आदि द्वारा विभाग के जिला कार्यालय में प्रीमियम जमा कराया जाता है।

2. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना –

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 14 नवम्बर 1996 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2002 में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित गैर अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों तक विस्तृत किया गया। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, नवीनीकरण तिथि इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	बीमा योजना	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पालिसी अवधि	विशेष विवरण
1	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना– (राजकीय विद्यालय)	1. कक्षा 1 से 8 हेतु 5.12 करोड़ रू. मय सेवाकर 2. कक्षा 9 से 12 हेतु 2.62 करोड़ रू. मय सेवाकर	100000 100000	15 अगस्त से 14 अगस्त	शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त माह में एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
2	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना– (राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त)	1. श्रेणी प्रथम– 50 रू. मय सेवाकर 2. श्रेणी द्वितीय– 25 रू. मय सेवाकर	100000 50000	राज्य बीमा विभाग के जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से एक वर्ष हेतु	शिक्षण संस्थाओं (राज. विद्या. के अतिरिक्त) द्वारा विभाग में प्रीमियम जमा कराया जाता है।

3. विविध बीमा पॉलिसियां –

साधारण बीमा निधि द्वारा मेरिन एवं विविध बीमा (बर्गलरी, मनी, बैंकर्स इन्डेमिनिटी, मेडिक्लेम, फिडिलिटी, मशीनरी ब्रेक डाउन, वर्कमैन कम्पनसेशन) इत्यादि पॉलिसियां भी जारी की जाती है। उक्त पॉलिसियों के विरूद्ध इस विभाग में प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु जोखिम वहन की जाती है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा का कार्य राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा पूर्व से ही संचालित किया जा रहा है। जीपीए राज्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी बीमा योजनाओं का कार्य दिनांक 1.4.2011 से तथा जीपीए विद्युतकर्मी योजना का कार्य अक्टूबर 2012 से विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है।

विभिन्न प्रमुख बीमा योजनाओं के अन्तर्गत विगत 3 वर्षो में प्राप्त एवं निस्तारित दावों का विवरण निम्नानुसार है –

(अ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(राज्यकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2015–16	59	315	374	331	43
2016–17	43	297	340	299	41
2017–18 (31.12.2017 तक)	41	224	265	222	43

'प्रकरण संबंधित विभागों/दावेदारों से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष हैं।

(ब) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(पुलिसकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2015–16	13	61	74	72	2
2016–17	2	82	84	78	6
2017–18 (31.12.2017 तक)	6	59	65	55	10

(स) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(विद्युतकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2015–16	36	119	155	141	14
2016–17	14	77	91	76	15
2017–18 (31.12.2017 तक)	15	46	61	52	9

(द) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(अन्य बोर्ड/निगमकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2015–16	20	11	31	30	1
2016–17	1	28	29	26	3
2017–18 (31.12.2017 तक)	3	13	16	11	5

(य) विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2015–16	30	595	625	616	9
2016–17	9	681	690	668	22
2017–18 (31.12.2017 तक)	22	496	518	492	26

(र) अन्य विविध बीमा पॉलिसियां

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
2015–16	44	9	53	52	1
2016–17	1	3	4	3	1
2017–18 (31.12.2017 तक)	1	1	2	1	1

4. ग्रुप मेडिक्लेम योजनाऐं

01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं पांचों विद्युत कम्पनियों (AVVNL, JVVNL, RRVPNL, RRVUNL, JdVVNL) के कार्मिकों, विभिन्न निगमों, बोर्डो एवं स्वायत्तशाषी संस्थानों यथा जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, विभिन्न विश्वविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आदि के

कर्मचारियों के लिए निधि द्वारा मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी जारी की जाती है। निधि द्वारा संचालित विभिन्न मेडिक्लेम बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, पॉलिसी अवधि एवं योजनाओं से संबंधित संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	मेडिक्लेम पॉलिसी	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पालिसी अवधि	विशेष विवरण
1	राज मेडिक्लेम पॉलिसी (1.1. 2004 व उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए)	500 रू. + सेवाकर प्रति कार्मिक	3 लाख	1 अप्रेल से 31 मार्च	• बीमित कार्मिक, पति/पत्नी आश्रित माता– पिता, 21 वर्ष तक आयु की 2 अविवाहित संतानों को पॉलिसी का लाभ देय • 24 घण्टे भर्ती रहकर अस्पताल में ईलाज करवाना अनिवार्य • केश लेस की सुविधा मात्र गंभीर बीमारियों में यथा i. Coronary Artery Surgery ii. Cancer iii.Renal Failure i.e. failure of both the kidneys iv. Stroke v.Multiple Sclerosis vi.Meningitis vii.Major Organ tansplants like Kidney, Lung, Pancreas or Bone Marrow Transplantation. • 30 दिवस प्री–हॉस्पिटलाईजेशन एवं 45 दिवस पोस्ट हॉस्पिटलाईजेशन ईलाज की सुविधा • प्रथम दो जीवित संतानों के लिए एक वर्ष में रू. 50000/– तक के मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) की सुविधा • राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं
2	पांचो विद्युत कम्पनियों की मेडिक्लेम पॉलिसियां (1.1. 2004 व उसके पश्चात् नियुक्त विद्युत कर्मियों के लिए)	630 रू. + 30 रू. विविध व्यय + सेवाकर प्रति कार्मिक	3 लाख	प्रीमियम प्राप्ति से 1 वर्ष तक	
3	विभिन्न निगमों, बोर्डो एवं स्वायत्तशाषी संस्थानों की मेडिक्लेम पॉलिसियां यथा • राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा • जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर • माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर • वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा • राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर • जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर • राजस्थान रिन्यूबल एनर्जी कॉरपोरेशन, जयपुर • डा. सर्वपल्ली आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर • भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर	2500 रू. + 30 रू. विविध व्यय + सेवाकर (प्रति 1 लाख के बीमाधन पर)	1 लाख से 3 लाख तक की मेडिक्लेम पॉलिसीयां	प्रीमियम प्राप्ति से 1 वर्ष तक	

	• आवासन मण्डल, जयपुर • अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर • प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,जयपुर • जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर • जवाहर कला केन्द्र, जयपुर • कृषि विपणन बोर्ड,जयपुर • राजस्थान फाउन्डेशन • राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जयपुर • महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर • अजमेर विकास प्राधिकरण • स्वामी केशवानन्द राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर • सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर • राजकॉम्प, जयपुर • पाठय पुस्तक मण्डल,जयपुर • राजस्थान अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर				राज्य से बाहर के निजी/ राजकीय अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज की सुविधा • ईलाज खर्च का सी.जी.एच. एस. पेकेज दरों पर पुनर्भरण देय।

दिनांक 1.1.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राज मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जाता है एवं समस्त प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। बीमित राज्य कर्मचारी से किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। साधारण बीमा निधि द्वारा संचालित मेडिक्लेम पॉलिसियों में प्राप्त होने वाले दावों की जांच एवं प्रोसेसिंग का कार्य आई.आर.डी.ए.आई. से अनुज्ञा पत्र प्राप्त टीपीए द्वारा किया जाता है।

मेडिक्लेम योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षो में प्राप्त एवं निस्तारित दावों का विवरण निम्नप्रकार से है:–

वर्ष	प्राप्त दावे	निस्तारित दावे
2015–16	6684	6684
2016–17	5723	3943

वर्ष	प्राप्त दावे	निस्तारित दावे	बकाया	बकाया का कारण
2017–18 (31.12.2017 तक)	10950	6861	4089	टीपीए स्तर पर तथा बीमित के विभाग स्तर पर कार्यवाही में

साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षो में प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण

(महालेखाकार कार्यालय में बुक राशि के आधार पर)

बजट मद 8011–105–02–01 **(रू. करोड़ों में)**

वर्ष	प्राप्त कुल प्रीमियम	कुल भुगतान
2015–16	48.45	35.39
2016–17	72.65	34.47
2017–18 (31.12.2017 तक)	40.91	29.85

बजट मद 8011–107–01 **(रू. करोड़ों में)**

वर्ष	कुल प्राप्तियां	कुल भुगतान
2015–16	18.72	7.50
2016–17	15.98	8.31
2017–18 (31.12.2017 तक)	16.02	6.85

साधारण बीमा निधि की स्थापना वर्ष 1991 में 50000/– रू. के फण्ड से की गई थी। दिनांक 31.3.2017 को यह फण्ड बढ़कर 488 करोड़ रू. हो गया है। उक्त राशि राज्य सरकार के पास जमा है जिस पर वर्तमान में निधि को 8.5% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा जनकल्याणकारी कार्यो में उपयोग में ली जाती है।

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1. राज्य सरकार (वित्त विभाग) के आदेश दिनांक 27.08.2009 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संचालन हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य भर में कुल **27416** डी.डी.ओ., 40 डी.टी.ओ. तथा 10 डी.टी.ए. द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बन्धित कार्य को सम्पादित किया जा रहा है।

2. राज्य सरकार के द्वारा मेमोरेण्डम संख्या एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 जयपुर दिनांक 28.01.2004 एवं 23.03.2004 के द्वारा नव–नियुक्त कर्मचारियों पर दिनांक 01.01.2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.08.2014 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्तशासी निकायों पर भी लागू की गयी है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना क्रमांक एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 जयपुर दिनांक 02.08.2005 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू किये गये, जिसके तहत योजना में सम्मिलित अंशभागियों के वेतन से उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता के 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती की जाती है तथा उतनी ही राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

4. **<u>विभागीय मुख्य कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना निम्न प्रकार हैः–</u>**

1. दिनांक 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को प्रान जारी करनाः–

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)
प्रान संख्या	10506	40908	55011

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कटौती की राशि को ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करना। **(राशि करोड़ों में)**

वर्ष	2015 –16	2016 –17	2017 –18 (दिसम्बर 2017 तक)
अंशदान की राशि	1724.36	2117.51	1791.45

3. शिकायतों का निस्तारण

वर्ष	कुल प्राप्त	निस्तारण	कार्यवाही में
2015–16	488	488	0
2016–17	476	476	0
2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)	444	408	36

4. मृत्यु/सेवानिवृति तिथि पूर्व सेवामुक्ति/सेवानिवृति प्रकरण के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार हैं :–

स्वत्व प्रकरण	कुल प्राप्त प्रकरण	स्वीकृत	निरस्त	कार्यवाही में
मृत्यु	1009	985	0	24
सेवानिवृति तिथि पूर्व सेवामुक्ति	66	65	0	1
सेवानिवृति	1580	1569	0	11
योग	2655	2619	0	36

राजस्थान राज्य, अन्य राज्यों की तुलना में **संपूर्ण देश में ट्रस्टी बैंक को सर्वाधिक राशि स्थानान्तरित करने वाला राज्य है।** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान द्वारा दिनांक 13.06.2016 तक 6 हजार करोड रूपये एवं दिनांक 31.12.2017 तक 9 **हजार 5 सौ करोड़ रूपये से भी अधिक राशि** ट्रस्टी बैंक को सर्वप्रथम स्थानान्तरित कर यह कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

5. स्वायतशाषी संस्थाओं पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होने के सम्बन्ध में – वित्त विभाग (नियम अनुभाग) राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 13(1)/वित्त/नियम /2003 जयपुर, दिनांक 12.08.2004 के द्वारा राजकीय उपक्रमों एवं स्वशाषी निकायों में 01.01.2004 के बाद नव–नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसके तहत वर्तमान में राज्य में 01 डी.टी.ए., **73** राजकीय स्वायतशाषी संस्थाऐं डी.टी.ओ. के रूप में तथा **465** डी.डी.ओ. पंजीकृत हो चुके है। कुल **11172** प्रान आवंटन हो चुके है। स्वायतशाषी संस्थाओं के स्तर से ही निजी एवं राजकीय अंशदान की राशि के अपलोड/ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक कुल राशि रूपये **198.54** करोड़ ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित की जा चुकी है।

6. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) में दिनांक 31.12.2017 तक कुल **306875** अंशदाता है और ट्रस्टी बैंक को कुल **9533.73** करोड. रूपये स्थानान्तरित हो चुके है।

6. सिस्टम

- **वैब–बेस्ड एप्लीकेशन**

  इस विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं एवं कार्य–प्रक्रियाओं के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु कस्टमाईज्ड वैब–बेस्ड एप्लीकेशन (एसआईपीएफ पोर्टल) तैयार किया गया है जिसके माध्यम से राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजना के लेखों तथा एम्प्लॉई मास्टर डाटा की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। दिनांक 15.08.2016 से जीपीएफ ऋण, आहरण, स्वत्व, बीमा ऋण/स्वत्व के प्रकरणों का एसआईपीएफ पोर्टल द्वारा ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है।

  विभागीय ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया में अब दिनांक 01.01.2018 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना से राशि आहरित करने हेतु अधिकार–पत्र या चैक जारी करने के स्थान पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिलाधिकारी के नाम **भुगतान आदेश** (फ्लोट) जारी कर पे–मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट करते हुए संबंधित कर्मचारी/दावेदारों के बैंक खातों में बीमा विभाग के स्तर से सीधे ही राशि के भुगतान की कार्यवाही पायलेट बेसिस पर प्रारम्भ कर दी गई है।

- **एसआईपीएफ पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा एवं कार्य प्रगति**

  <u>एम्पलोई डाटाबेस</u>

  - राज्य कर्मचारियों द्वारा डीडीओ के माध्यम से राज्य सेवा, व्यक्तिगत विवरण आदि के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर लगभग 8.73 लाख कर्मचारियों का एम्पलोई डाटाबेस तैयार किया गया है, जिसे डीडीओ तथा कर्मचारियों के अनुरोध पर अद्यतन किये जाने एवं समस्त राज्य कर्मचारियों तथा डीडीओ द्वारा एसएसओ के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल पर एक्सेस किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।

  <u>राज्य बीमा योजना</u>

  - **<u>कॉन्ट्रेक्ट डिटेल एवं व्यक्तिगत</u> लेजर** प्रत्येक बीमेदार को राज्य बीमा योजना में कॉन्ट्रेक्ट डिटेल में अब तक जारी कोन्ट्रेक्टस, प्रीमियम, बीमा धन, बोनस आदि को व्यूय किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। अब तक लगभग 4.70 लाख राज्य बीमा पॉलिसियों के कॉन्ट्रेक्ट पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके है। इसी प्रकार दिनांक 1.4.2012 से राज्य बीमा कटौतियॉ का व्यक्तिगत लेजर भी प्रदर्शित हो रहा है।

- **बीमा पॉलिसी जारी करना** राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01.04.2015 से बीमा पॉलिसी जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है।
- **राज्य बीमा ऋण** विभाग द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 15.08. 2016 से ऑनलाईन निस्तारण किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 15.08. 2016 से 31.12.2017 तक 37126 बीमा ऋण ऑनलाईन निस्तारित किये जा चुके है।
- **राज्य बीमा दावों का निस्तारण** दिनांक 15.08.2016 से मृत्य, अध्यर्पण एवे परिपक्वता दावों का एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से निस्तारित करना प्रारम्भ कर दिया गया है। दिनांक 15.8.2016 से 31.12.2017 तक मृत्यु स्वत्व के 3083, अध्यर्पण स्वत्व के 1378 तथा परिपक्वता के 21326 दावों का ऑनलाईन निस्तारण किया जा चुका है।

प्रावधायी निधि योजना

- **जीपीएफ कटौतियों का लेजर** योजना के अंशदाताओं की प्रथम कटौती से दिनांक 31.03.2012 तक का रिकॉर्ड पूर्ण कर दिनांक 01.04.2012 का प्रारंभिक शेष एसआईपीएफ पोर्टल अपलोड किया जा रहा है एवं इसके बाद की कटौतियां पे–मैनेजर पोर्टल से एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट की जा रही हैं तथा ऑफलाईन पारित बिलों एवं केश चालानों के माध्यम से प्राप्त कटौतियों का विभागीय स्तर पर पोर्टल पर इन्द्राज कराया जा रहा है। फलस्वरूप अंशदाताओं के व्यक्तिगत लेजर में दिनांक 01.04.2012 से अद्यतन कटौतियों को एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा हैं।
- **जीपीएफ खाताबंदी** एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिटेड क्रेडिट तथा डेबिट राशियों के आधार पर वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक का खाताबंदी का कार्य पोर्टल के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है।
- **जीपीएफ आहरण एवं क्लेम** विभाग द्वारा दिनांक 15.08.2016 जीपीएफ के अस्थाई/स्थाई आहरण एवं क्लेम एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निस्तारित करना प्रारम्भ कर दिया गया है। दिनांक 15.08.2016 से 31.12.2017 तक आहरण (स्थाई/ अस्थाई) के 68186, अंतिम भुगतान (सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति) के 29096 तथा मृत्यु के 3023 दावों का ऑनलाईन निस्तारण किया जा चुका है।

- **अ. भा. सेवा प्रानि लेखों का ऑनलाईन संधारण** अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रानि लेखों का भी ऑनलाईन संधारण किया जा रहा है।

नेशनल पेंशन सिस्टम

- योजना के अंशधारकों की कटौतियों को सीआरए एवं ट्रस्टी बैंक को एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन हस्तातंरण करवाये जाने की मॉडिलिटी विकसित कर ली गई है। अब एनपीएस अंशदाताओं के प्रान,एम्पलॉई आईडी तथा पे–मैनेजर एवं एसआईपीएफ पोर्टल के इन्टीग्रेशन के फलस्वरूप एसजीवी कोड एवं ऑफिस आईडी तथा एम्प्लॉई आईडी एवं पे–मैनेजर आईडी की मैचिंग की जा रही है।

साधारण बीमा योजना

- **समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा** योजना को ऑनलाईन कराने हेतु प्रोपोजल फार्म पोर्टल पर सबमिट करवाया जाना प्रारंभ कर दिया गया है।
- **राज–मेडिक्लेम** दिनांक 1.4.2015 से राज्य कर्मचारियों के मेडिक्लेम दावों का निस्तारण एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है।

मोबाईल मैसेज

एसआईपीएफ पोर्टल पर सम्पादित कतिपय कार्यो यथा एप्लीकेशन सबमिशन, फॉरवर्डिंग/अप्रूवल आदि की जानकारी राज्य कर्मचारियों को दिये जाने बाबत एमएसडीजी के माध्यम से मोबाईल मैसेज भिजवाना प्रारंभ कर दिया गया है।

विभागीय वैब–साईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर निम्न सूचनाएं प्रदर्शित/उपलब्ध करायी जा रही है :–

- **विभागीय योजनायें** राज्य बीमा, साप्रानि, एनपीएस, साधारण बीमा एवं मेडिक्लेम आदि योजनाओं की जानकारी राज्य कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है।
- **विभागीय योजनाओं की नियमावली** राज्य बीमा, साप्रानि,एनपीएस, जीआईएस एवं मेडिक्लेम आदि से संबंधित नियम/उपनियम/अध्यादेश/संशोधन उपलब्ध है।
- **विभागीय योजनाओं से संबंधित प्रपत्र** राज्य बीमा, साप्रानि, एनपीएस, जीआईएस एवं मेडिक्लेम आदि योजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रपत्र राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये उपलब्ध करवाये गये है।
- **डीडीओ एवं एम्पलोई कॉर्नर** डीडीओ एवं राज्य कर्मचारियों के लॉगिन हेतु यह सुविधा तथा सामान्य जानकारियॉ उपलब्ध करवायी गयी है।

- **एसआईपीएफ पोर्टल एवं अन्य लिंक** राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये पोर्टल एवं अन्य महत्वपूर्ण वेबसाईट्स के लिंक उपलब्ध करवाये गये है।

- **एसआईपीएफ एवं पे–मैनेजर पोर्टल का इन्ट्रीग्रेशन**
  - एसआईपीएफ पोर्टल का पे–मैनेजर एप्लीकेशन एवं ई–ग्रास एप्लीकेशन का इन्ट्रीग्रेशन किया जाकर जीपीएफ में अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2017 तक का डेटा एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कर लिया गया है तथा केश चालानों के माध्यम से प्राप्त कटौतियों एवं ऑफलाईन पारित बिलों के शिड्यूल की खतौनी विभागीय स्तर से की जा रही है।
  - राज्य बीमा योजना में भी मार्च 2012 से दिसम्बर 2017 तक की कटौतियों का डेटा भी एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कर लिया गया है। इसी प्रकार अब एनपीएस की कटौतियॉ भी एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट की जाकर एससीएफ तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
  - एसआईपीएफ पोर्टल एवं ई–ग्रास पोर्टल के इंटीग्रेशन पश्चात नकदजमाकर्ता विभागों तथा कर्मचारियों द्वारा ई–चालान/शिडयूल्स एसआईपीएफ पोर्टल पर जनरेट कर कटौती राशियॉ जमा करायी जा रही है।

- **हेल्प डेस्क एवं टोल–फ्री हेल्प लाईन**

  राज्य के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभागीय यूजर्स द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल पर किये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान/मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय पर टोल–फ्री हेल्प लाईन नम्बर 1800–180–6268 एवं हेल्प डेस्क helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in सेवा प्रारम्भ हो गई है। कार्यालय समय में टोल–फ्री नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

7. डिजिटाईजेशन

पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जिला कार्यालय झालावाड़, झुंझुनूं एवं नई दिल्ली के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना के रिकार्ड्स (बैग्स, लेजर्स इत्यादि) की स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन कार्य एवं विभागीय पोर्टल पर डेटा को ई–बैग में अपलोड करने का कार्य करवाया गया।

पायलेट जिला कार्यालयों में सफलता पूर्वक किये गये स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन कार्य को देखते हुये शेष 36 जिला कार्यालयों मे चरणबद्ध तरीके से रिकार्ड स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन का कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण करवाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही हैं।

8. लेखा

विभाग के मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (राज्य निधि) के निम्नांकित लघु शीर्षो के वर्ष 2017–18 के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र0 सं0	लघु शीर्ष	बजट प्रावधान 2015–16	वास्तविक व्यय 2015–16	बजट प्रावधान 2016–17	वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्यय क अनु0 2017–18	वास्तविक व्यय 12/2017
1	104–निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना–सरकारी भविष्य निधि (01)–जमा से प्रतिबद्ध बीमा राज प्रावधायी निधि दत्तमत	0.01	0.60	0.01	0.00	0.01	0.00
2	104–निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना–सरकारी भविष्य निधि (02)–प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण दत्तमत प्रभृत	3189.87 0.10	2960.43 0.00	3656.67 0.10	3036.85 30.28	3373.53 0.10	2526.61 0.00
3	105–सरकारी कर्मचारी बीमा योजना (01)–राज्य बीमा विभाग दत्तमत प्रभृत	5372.01 0.10	4918.30 0.03	5699.78 0.10	5318.84 41.90	5631.43 0.10	4016.63 0.00
4	110–अन्य बीमा योजनायें (01)–साधारण बीमा योजना	295.51	256..58	276.09	289.12	341.67	249.20
5	800–अन्य व्यय (02)–निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 के माध्यम से (मेडिक्लेम) (01)–01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिये मेडिक्लेम	1479.50	1440.81	1752.51	1746.92	1937.71	1909.58
6	800–अन्य व्यय (02)–निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 के माध्यम से (02)–नवीन अंशदायी पेंशन योजना	881.80	923.19	1065.58	1192.21	1388.53	960.73
	दत्तमत प्रभृत	11218.70 0.20	10499.91 0.03	12450.64 0.20	11583.94 72.18	12672.88 0.20	9662.75 0.00

9. उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यो के संबंध में सीधे उपभोक्ताओं, विभिन्न कार्यालयों व अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के संतोषजनक निराकरण हेतु उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता अनुभाग की स्थापना की गयी है।

अनुभाग में वर्तमान में निम्न गतिविधियां संचालित हैः–

1. **उपभोक्ता संबंध अनुभाग (सीआरएस)**
2. **क्लीयरिंग हाउस**
3. **सूचना का अधिकार**
4. **राजस्थान सुनवाई का अधिकार**
5. **राजस्थान सम्पर्क**
6. **लोक सेवा गारंटी अधिनियम**

1. उपभोक्ता संबंध अनुभाग (सीआरएस)

अनुभाग में वर्ष 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 (माह दिसम्बर, 2017 तक) में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सुनवाई का अधिकार, सुगम समाधान एवं राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैः–

	मामलों की प्रकृति	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
वर्ष 2015–16	**I. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**			
	i आवेदन पत्र	6093	6093	**100.00**
	ii प्रथम अपील	282	282	**100.00**
	II सुनवाई का अधिकार			
	i आवेदन पत्र	1	1	**100.00**
	ii प्रथम अपील	1	1	**100.00**
	III सुगम समाधान	3600	3492	**97.00**
	IV राजस्थान सम्पर्क	6093	6093	**100.00**
वर्ष 2016–17	**I. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**			
	i आवेदन पत्र	4689	4689	**100.00**
	ii प्रथम अपील	287	287	**100.00**

	II सुनवाई का अधिकार			
	i आवेदन पत्र	शून्य	शून्य	**शून्य**
	ii प्रथम अपील	शून्य	शून्य	**शून्य**
	IV राजस्थान सम्पर्क	4056	4049	**99.82**
वर्ष 2017–18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	**I. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**			
	i आवेदन पत्र	4295	4170	**97.09**
	ii प्रथम अपील	302	260	**86.09**
	II सुनवाई का अधिकार			
	i आवेदन पत्र	शून्य	शून्य	**शून्य**
	ii प्रथम अपील	शून्य	शून्य	**शून्य**
	IV राजस्थान सम्पर्क	4508	3984	**88.37**

उपभोक्ता संबंध अनुभाग (सीआरएस) में उपरोक्त तालिका के अलावा वर्ष 2015–16 से 2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक) में प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें
2015–16	1981	1981
2016–17	1792	1650
2017–18 (माह दिसम्बर–17 तक)	1452	1183

लम्बित शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. क्लीयरिंग हाऊस

विभाग ने **वर्ष 1995–96** में क्लीयरिंग हाउस की शुरूआत की, जिससे राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि की मूल पत्रावलियां एवं लेजर्स एक जिले से दूसरे जिले में उनकी मांग के अनुसार गहन मोनिटरिंग कर भिजवाये जा सके। उल्लेखनीय है कि डाक द्वारा रिकार्ड भिजवाये जाने पर रिकार्ड को अपने गन्तव्य जिले में पहुंचने में जहां काफी समय व खर्च आता था, वहीं रिकार्ड के गुम हो जाने की संभावना भी बनी रहती थी।

उक्त व्यवस्था के तहत मुख्यालय, जयपुर में **प्रतिमाह 15 तारीख को तथा प्रत्येक संभाग स्तर पर प्रति माह 5 से 10 तारीख के बीच क्लीयरिंग हाऊस की बैठकों का आयोजन कर** सभी जिला कार्यालयों के कार्मिक द्वारा नियत तिथि को उपस्थित होकर मांग के अनुसार रेकार्ड को संबंधित जिला कार्यालय के कार्मिक को व्यक्तिशः उपलब्ध करा दिया जाता है। विभाग की आवश्यकतानुसार मुख्यालय में एक माह में दो बार भी क्लीयरिंग हाउस बैठकें आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 (माह दिसम्बर–17 तक) में प्रावधायी निधि योजना तथा राज्य बीमा के निम्नानुसार खाते स्थानान्तरित किये गये हैंः–

वित्तीय वर्ष	प्रावधायी निधि योजना	राज्य बीमा योजना
2015–16	15698	13231
2016–17	11938	13893
2017–18 (माह दिसम्बर–17 तक)	6928	7933

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	प्राप्त मामले	निस्तारित मामले	30 दिन से कम अवधि के प्रकरण (कार्यवाही में)
2015–16	6093	6093	शून्य
2016–17	4689	4689	शून्य
2017–18 (12/2017) तक	4795	4170	**125**

प्रथम अपीलः–

वर्ष	प्राप्त	निस्तारित	बकाया
1–4–2015 से 31–03–2016	282	282	शून्य
1–4–2016 से 31–03–2017	287	287	शून्य
1–4–2017 से 31–12–2017 (12/2017) तक	302	260	**42** (कार्यवाही में)

4. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) अधिसूचना दिनांक 0.10.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 विभागीय सेवाओं को निर्धारित अवधि में राज्य कर्मचारियों को प्रदान करने बाबत प्रावधान किया गया हैः–

क्र. स.	सेवा का नाम	निर्धारित अवधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1	बीमा ऋण	10 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
2	बीमा स्वत्व	21 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
3	बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती के दो माह	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
4	जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रिकार्ड बुक का सत्यापन	7 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
5	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक

6	जीपीएफ स्वत्व	21 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
7	बीमा/जीपीएफ खाता स्थानान्तरण	30 दिवस (मुख्यालय एवं संभागीय स्तर पर प्रति माह क्लीयरिंग हाउस का आयोजन किया जाता है।)	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा/जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
8	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
9	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
10	विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
11	समूह दुर्घटना बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
12	मेडिक्लेम	30 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
13	प्रान जारी करना	20 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक एनपीएस	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक

उक्त हेतु कार्यालयों में पदस्थापित कार्यालयाध्यक्ष पदाभिहित अधिकारी होंगें एवं उनकी सहायता के लिये संबंधित योजना के पर्यवेक्षक सहायक पदाभिहित अधिकारी होंगे। प्रथम अपील

अधिकारी संबंधित संभाग के वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होंगे। पदाभिहित अधिकारी कार्यालय के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत करेगा। प्राप्त आवेदनों को अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के आगे दी हुई समय सीमा में निस्तारित किया जावेगा। नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाश दिनों की गणना नहीं की जावेगी।

अधिसूचना की धारा – 7 (1)(क) के तहत यदि पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहा है तो एक मुश्त राशि की शास्ति, जो पांच सौ रूपये से कम और पांच हजार रूपये से अधिक नहीं होगी तथा अधिसूचना की धारा –7 (1)(ख) के तहत पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवायें प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विलम्ब किया है तो ऐसे विलम्ब के लिये पदाभिहित अधिकारी पर अतिरिक्त प्रतिदिन 250/– रूपये की दर से अधिकतम 5000/– रूपये तक अधिरोपित करने हेतु द्वितीय अपील प्राधिकारी (निदेशक) को अधिकृत किया गया है। दिसम्बर 2017 तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विभाग में कोई प्रकरण उत्पन्न नहीं हुआ है।

5. काउण्टर सिस्टम

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, परिवेदनाओं को दर्ज कर इनके **समयबद्व निस्तारण के उदेश्य से दिनांक 01.04.2000 से सभी जिला कार्यालयों द्वारा काउण्टर व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है**।

काउन्टर प्रणाली में प्राप्त पूर्ण प्रकरणों का निस्तारण विभाग के नागरिक अधिकार पत्र में उल्लेखित कार्य दिवसों में किया जाता है।

आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज कर उन्हें एक **टोकन** द्वारा प्रकरण निस्तारण तिथि अवगत कराकर **नागरिक अधिकार पत्र** की पालना सुनिश्चित किये जाने के पूर्ण प्रयास किये जाते हैं।

10. विभाग का कार्मिक प्रबन्धन

दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	(अ) राजपत्रित पद			
1.	निदेशक	1	1	0
2.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	1	0	1
3.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक	7	7	0
4.	अतिरिक्त निदेशक	17	17	0
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6.	संयुक्त निदेशक	26	16	10
7.	सिस्टम एनालिस्ट	1	1	0
8.	उपनिदेशक	30	16	14
9.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	0	1
10.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
11.	सहायक विधि परामर्शी	1	1	0
12.	निजी सचिव	1	1	0
13.	सहायक निदेशक	60	25	35
14.	लेखाधिकारी	2	1	1
15.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम	13	13	0
16.	संस्थापन अधिकारी	5	0	5
17.	प्रशासनिक अधिकारी	10	1	9
18.	प्रोग्रामर	10	10	0
19.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	3	2	1
20.	वरिष्ठ निजी सहायक	9	7	2
21.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	18	6	12

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	(ब) अराजपत्रित पद			
22.	पर्यवेक्षक	131	63	68
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	45	30	15
24.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	259	194	65
25.	कनिष्ठ लेखाकार	18	11	7
26.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	4	1	3
27.	सहायक प्रोग्रामर	34	12	22
28.	निजी सहायक	8	7	1
29.	आशुलिपिक	10	5	5
30.	लिपिक ग्रेड प्रथम	515	463	52
31.	सूचना सहायक	156	67	89
32.	लिपिक ग्रेड द्वितीय	601	263	338
33.	वाहनचालक	2	1	1
34.	बाइण्डर	4	3	1
35.	मशीनमैन	2	1	1
36.	रेकार्ड लिफ्ट्र	18	8	10
37.	जमादार	10	10	0
38.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	213	155	58
	योग	**2248**	**1420**	**828**

11. सार संक्षेप

समस्त राज्य कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मेडिक्लेम योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आदि का संचालन विभाग के द्वारा समयबद्धता एवम् पारदर्शिता का पूर्ण ध्यान रखते हुये न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर किया जा रहा है। विभाग द्वारा नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुये दिनांक 15.08.2016 से राज्यकर्मियों को ऑन–लाईन सेवाऐं सुलभ उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के ऋण/स्वत्व ऑनलाईन ही प्राप्त/निस्तारित किये जा रहे हैं। मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने एवम् सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए यह विभाग सदैव तत्पर, जागरूक एवम् कृतसंकल्प है।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ

स्वच्छ भारत–स्वस्थ भारत